

कार्यालय: प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ (यू0पी0)
कार्यालय आदेश

संख्या: 1766 / रा0में0का0आ0 / छात्र अनु0 / 2020,


दिनांक 27 / 11 / 2020

समस्त छात्र / छात्राएं,

एम0बी0बी0एस0 प्रथम / द्वितीय एवं अन्तिम वर्ष भाग-1,
राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण जवाहर भवन, लखनऊ के पत्रांक संख्या: एम0ई0-3 / 2020 / 2334 लखनऊ, दिनांक 27 नवम्बर, 2020 के क्रम में इस चिकित्सा महाविद्यालय में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में अध्ययनरत एम0बी0बी0एस0 द्वितीय / तृतीय एवं अन्तिम वर्ष भाग-1 के समस्त छात्र / छात्राओं की ऑनलाइन कक्षाओं को दिनांक 01, दिसम्बर 2020 से फिजिकल कक्षाओं के रूप में संचालित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में एम0बी0बी0एस0 द्वितीय / तृतीय एवं अन्तिम वर्ष भाग-1 की कक्षाओं में अध्ययनरत समस्त छात्र / छात्राओं को आदेशित किया जाता है कि उनकी दिनांक 01 दिसम्बर, 2020 से फिजिकल कक्षाओं के संस्थागत तौर पर संचालित होने के क्रम में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु इस पत्र के साथ संलग्न पत्र में दर्शाये गये समस्त दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए ही छात्रावास में आवासित हो एवं कक्षाओं में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


प्रधानाचार्य

राजकीय मेडिकल कालेज

आजमगढ़ **Principal**

संख्या: / रा0में0का0आ0 / छात्र अनु / 2020,

तद्दिनांक..... Govt. Medical Collage

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Azamgarh

01. अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1।
02. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन लखनऊ।
03. उप प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
04. चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
05. डा0 ए0 के0 गुप्ता, एकेडमिक इन्चार्ज, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
06. प्रभारी, छात्र सेल, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
07. समस्त विभागाध्यक्ष / कन्वेनर, एम0बी0बी0एस0 द्वितीय / तृतीय एवं अन्तिम वर्ष भाग-1 को इस आशय के साथ प्रेषित की सम्बन्धित छात्र / छात्राओं को कोविड-19 से बचाव हेतु समय-समय पर निर्गत एडवाइजरी विशेषतः गृह(गोपन) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या:-2135 / 2020 / सीएक्स-3, दिनांक 01.10.2020 में उल्लिखित कोविड-19 से बचाव संबंधी SOPs व अन्य शर्तों का पालन करवाना सुनिश्चित करें।
08. नोडल अधिकारी, कोविड-19 प्रथम एवं द्वितीय, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
09. वार्डन / सहायक वार्डन, बालक / बालिका छात्रावास, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
10. नोडल अधिकारी, स्क्रीनिंग / चिकित्सा जाँच, कोविड-19, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
11. प्रभारी अधिकारी, क्वारन्टाइन, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
12. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
13. नोटिस बोर्ड, प्रधानाचार्य कार्यालय / सेंट्रल लाइब्रेरी / बालक / बालिका छात्रावास, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
14. सम्बन्धित अधिष्ठान।


प्रधानाचार्य

राजकीय मेडिकल कालेज

कार्यालय: प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़- (यू0पी0)
कार्यालय आदेश

छात्रों के लिए दिशा-निर्देश

01. इस चिकित्सा महाविद्यालय में एम0बी0बी0एस0 द्वितीय / तृतीय एवं अन्तिम वर्ष भाग-1 में अध्ययनरत समस्त छात्र / छात्राएं अपना कोविड-19 RT-PCR Test (महाविद्यालय में प्रवेश से 72 घण्टे के अन्दर की) की जाँच करवाकर ही इस चिकित्सा महाविद्यालय में उपस्थित हों। यदि किसी छात्र / छात्रा की कोविड-19 RT-PCR Test की रिपोर्ट पोजिटीव है, तो वह कोविड-19 RT-PCR Test की निगेटिव रिपोर्ट आने के उपरान्त ही संस्था में उपस्थित हों।
 02. यदि किसी छात्र / छात्रा को खाँसी / बुखार / जुखाम आदि हैं तो वह अपने घर / जहाँ पर हैं वही पर अपना उपचार कराने के उपरान्त RT-PCR कोविड-19 की निगेटिव रिपोर्ट के साथ महाविद्यालय परिसर में उपस्थित हों।
 03. समस्त छात्र / छात्राओं को मास्क, हेड कवर एवं ग्लव्स (दस्ताने) पहनना अनिवार्य होगा एवं सभी छात्र / छात्राओं को इसकी व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
 04. समस्त छात्र / छात्राओं को अपना-अपना एक पॉकिट सेनेटाइजर हमेशा अपने पास रखना अनिवार्य है, एवं निरन्तर हैन्ड वॉश एवं हैन्ड हाइजीन का पालन करेंगे।
 05. समस्त छात्र / छात्राएं सोशल डिस्टेंसिंग का हर समय पालन करेंगे।
 06. समस्त छात्र / छात्राएं अपने स्वयं के खाने के बर्तन टिफिन इत्यादि लेकर आयेंगे एवं स्वयं धोने की व्यवस्था करेंगे।
 07. समस्त छात्र / छात्राएं अपने वस्त्र इत्यादि भी लेकर आयेंगे एवं धोने की व्यवस्था भी स्वयं करेंगे।
 08. समस्त छात्र / छात्राओं को एप्रिन एवं नेम प्लेट पहनना अनिवार्य होगा।
 09. सभी छात्र / छात्राएं आरोग्य सेतू ऐप डाउनलोड करेंगे।
 10. सभी छात्र / छात्राएं चिकित्सा सेतु ऐप डाउनलोड करेंगे।
 11. समस्त छात्र / छात्राएं अपने अभिभावकों की सहमति पत्र अनिवार्य रूप से अपने साथ लेकर आयें।
- समस्त छात्र / छात्राएं अपनी कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट के साथ मेडिसिन विभाग, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ में रिपोर्ट करें।



प्रधानाचार्य,

राजकीय मेडिकल कालेज,

आजमगढ़
Principal

Govt. Medical College

Azamgarh

अभिभावक का सहमति-पत्र

मैं (अभिभावक)..... पुत्र / पुत्री श्री.....

पता..... का

निवासी / निवासिनी हूँ। मेरा / मेरी पुत्र / पुत्री..... राजकीय

मैडिकल कालेज, आजमगढ़ में एम0बी0बी0एस0 बैच..... की छात्र / छात्रा है। मैं

अपने / अपनी पुत्र / पुत्री..... को एम0बी0बी0एस0 द्वितीय / तृतीय एवं अन्तिम वर्ष

भाग-1 की फिजिकल कक्षाओं में उपस्थित होने हेतु दिनांक 01.12.2020 से सहमति प्रदान करता / करती हूँ।

शासन / महानिदेशालय / कालेज प्रशासन द्वारा फिजिकल कक्षाओं को प्रारम्भ करने के कम में लिये गये निर्णय से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा / मेरी पुत्र / पुत्री.....

.....कालेज प्रशासन द्वारा कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु निर्धारित दिशा-निर्देशों का पूर्णतया पालन करेगा / करेगी।

अभिभावक का नाम -

हस्ताक्षर -

अभ्यर्थी का नाम-

एकेडमिक वर्ष-

स्थायी पता-

मोबाइल नं0-